न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल(म.प्र.)

प्र. क. /पी.
बी.आर. / 2018

निगरानी-3661/2018/भोपाल/भू.रा.स.

1-- जार्ज कुट्टी सेमुअल आ. स्व. श्री के. सेमुअल, आयु वयस्क,
2— श्रीमती बेनू जार्ज, पत्नी श्री जार्ज कुट्टी सेमुअल आयु वयस्क,
दोनों निवासीगण मकान नं. ए—123, सागर ऐवन्यू,
अयोध्या बाई पास रोड, भोपाल, (म.प्र.)

आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्द अग्रवाल, आत्मज श्री नन्दन गोयल, आयु वयस्क, निवासी
के—2 / 237, सी.सेक्टर इन्द्रपुरी, भोपाल

अनावेदक

अभिभावक श्री...लोकेश गिरी
द्वारा आज दिनांक...18/5/18
को पेश।
अभिभावक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

आवेदक पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण मान. अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त—2, प.ह.नं. 20, ग्राम अरेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण कमांक 56 / अ--12 / 17—18 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :—

::— तथ्य —::

1. यह कि अनावेदक ने एक आवेदन पत्र धारा 129, म.प्र. भू—राजस्व संहिता के तहत ग्राम अरेड़ी हल्का कान्हासैया, राजस्व निरीक्षक मण्डल बिलखिरिया खुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल के ख.क्र. 375 / 3 / 2 / 19, रकबा 0.122 हे., ख.क्र. 401, 402, 403, 404, 405, 407, 392 / 3 / 7, ख.क्र. 396, 397, रकबा 0.050 हे. कुल किता 2, कुल रकबा 0.172 हे.का सीमांकन करने बावत प्रस्तुत किया गया है।

आयुक्त
कार्या. भोपाल
में दिनांक-28/5/18
को भोपाल
कैम्प में प्रस्तुत
DIR
28/5/18

2. यह कि सीमांकन के आवेदन में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि. सीमांकन की जा रही भूमि की चतुर्थ सीमाओं का उल्लेख तथा सीमांकन की जा रही भूमियों के चारों तरफ किसकी भूमि है, इस आवेदन में किया जाना आवश्यक है, जो नहीं है। इस कारण सीमांकन का आवेदन प्रथम दृष्टया ही विधि की मंशा के अनुरुप नहीं है।

3. यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के पूर्व जो नोटिस जारी किया गया है, उक्त नोटिस में उसमें आवेदकगण के नाम नोटिस जारी होने का कोई उल्लेख नहीं है तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भी आवेदकगण की भूमि अनावेदक की भूमि से लगी हुई है, का उल्लेख नहीं है।

4. यह कि आवेदन पत्र में ख.नं. 375 / 3 / 2 / 19 का सीमांकन चाहा गया है, जबकि आवेदन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3661/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-01-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	